

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)
क्रमांक : प.1(क)(10)का/आर.एम.एस./डीएलबी/09/2430 दिनांक : 19/06/2023

आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1)कार्मिक/क-2/अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में **लेखाधिकारी पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.23** की स्थिति को दर्शाते हुए निम्नानुसार जारी की जाती है:-
दिनांक 01.04.23 की स्थिति

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति दिनांक	स्थाईकरण दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री राकेश कुमार अरोडा	10.09.65	01.04.15	01.04.16	निलम्बित वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर डेफर (वर्ष 2020-21)

इस संबंध में किसी अधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.1(क)(10)का/आर.एम.एस./डीएलबी/09/2431-37 दिनांक : 19/06/2023
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग,।
04. महापौर/आयुक्त, नगर निगम/परिषद.....।
05. श्री राकेश कुमार अरोडा, लेखाधिकारी हाल निलम्बित।
06. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक